



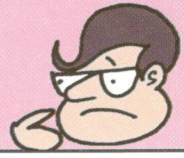
सेवा में सत्यनिष्ठा



भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत
 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022
 केन्द्रीय सतर्कता आयोग



सेवा में सत्यनिष्ठा



श्री ए के चौधरी, निदेशक, अपने केबिन में बैठे एबीएक्स कंपनी, जिसे उनकी कंपनी अधिग्रहित करने की योजना बना रही है; के दस्तावेजों को पढ़ रहे थे।

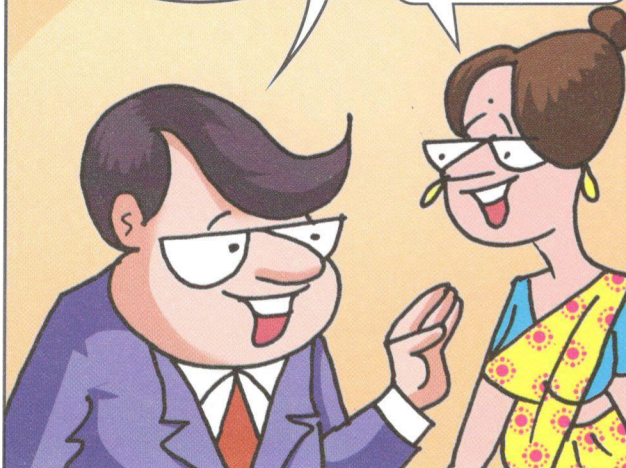


सर, यह बोर्ड बैठक की प्रस्तावित तिथि है।



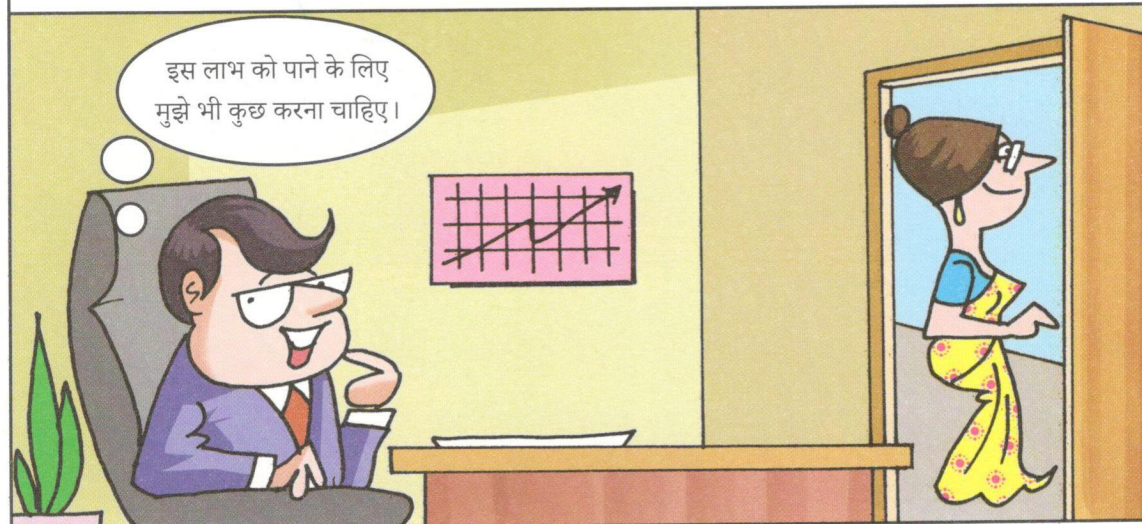
यह बहुत अच्छा समय है। इस अधिग्रहण के बाद हमारी कंपनी उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन जाएगी।

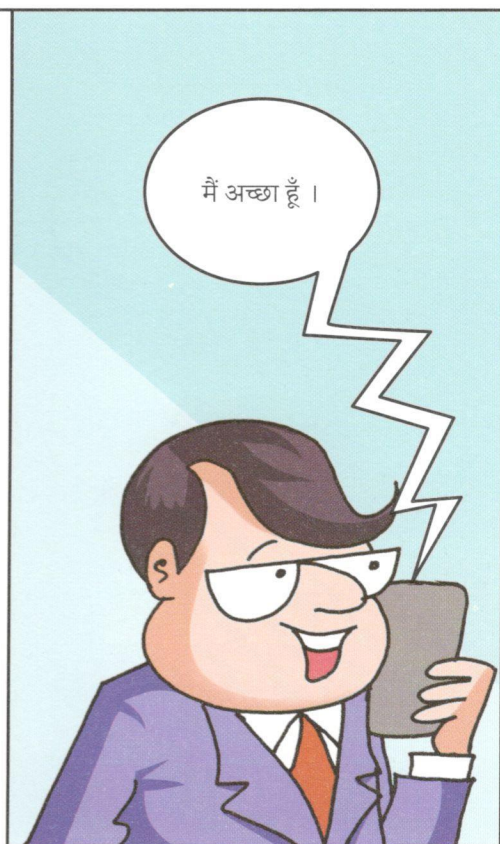
हाँ सर, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा।

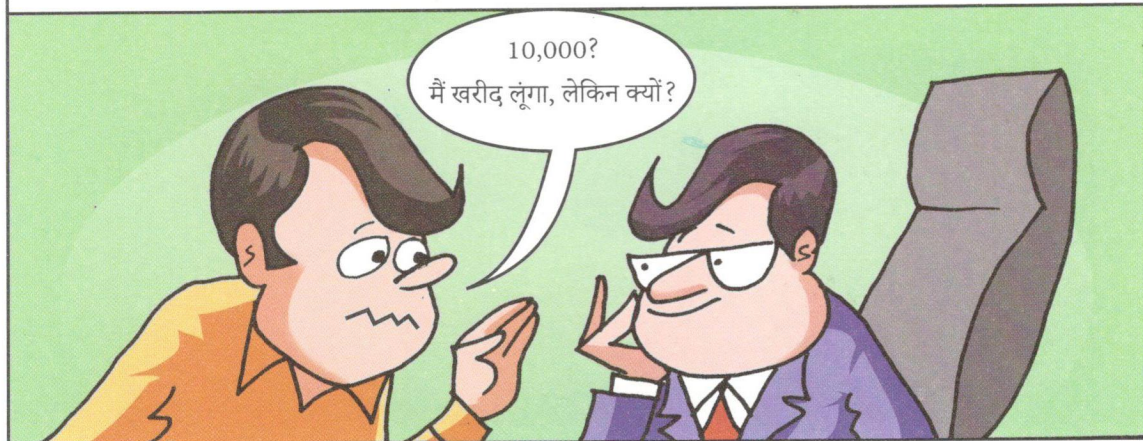


हमारे शेयरों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी होगी।

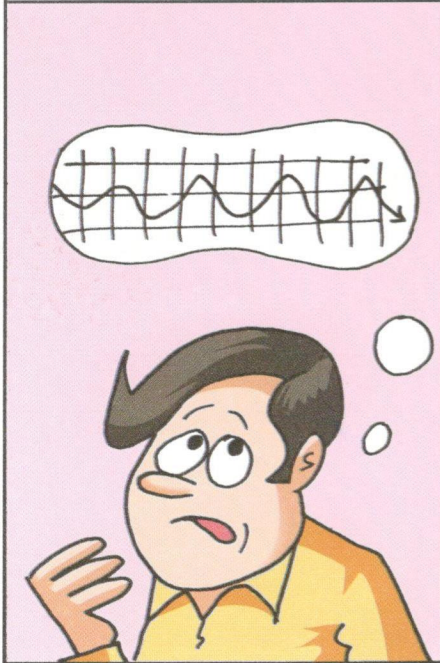








जहां तक मुझे पता है, पिछली तिमाही में आपकी कंपनी के शेयर की कीमत नहीं बढ़ी है। और 10,000 बहुत बड़ी संख्या है।



हां, मुझे पता है, लेकिन अगले 15-20 दिनों में इसके शेयरों की कीमत कम से कम 40% बढ़ जाएगी।



हम कुछ नए निवेशों सहित एक बड़ा अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारे शेयर की कीमतें बढ़ेंगी।

सच में, ठीक है। तो मैं उन्हें आज ही खरीद लूंगा। धन्यवाद भैया।



लेकिन सावधान रहना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।

बिल्कुल भैया।

मुनाफा मिलने के बाद मुझे मत भूल जाना।

निश्चित रूप से भैया।





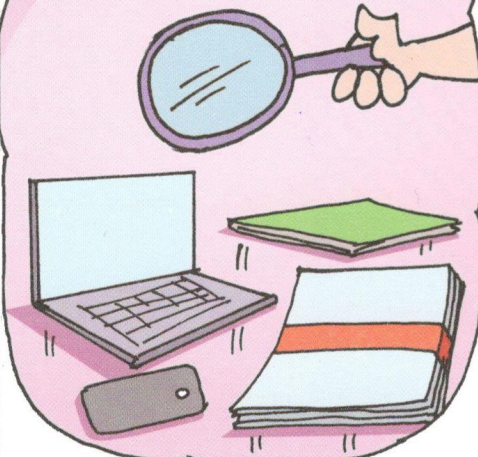


कुछ दिनों बाद

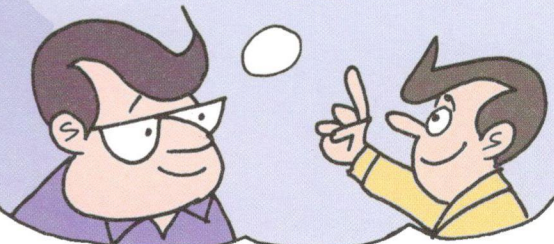
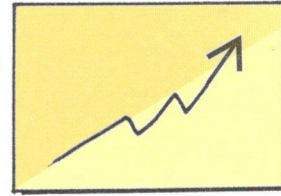
कंपनी के व्हिस्ल ब्लोअर
मैकेनिज्म के तहत एक
शिकायत प्राप्त हुई।



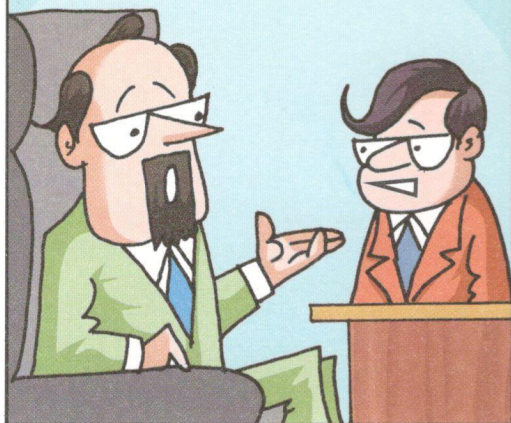
सक्षम अधिकारी ने प्रेषक के नाम
को गोपनीय रखते हुए शिकायत का
सत्यापन करवाया और जांच की।



यह पाया गया कि श्री चौधरी ने कंपनी की
गोपनीय एवं संवेदनशील जानकारी अपने भाई
के साथ साझा की, जिसने कंपनी के शेयरों में
निवेश कर अवैध लाभ कमाया।



श्री चौधरी को अपना
पक्ष रखने के लिए बुलाया
जाता है।



श्री चौधरी, क्या यह सच है कि आपने अपने परिवार के सदस्य
को हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उस अवधि के
दौरान कहा था, जब कंपनी अधिग्रहण प्रस्ताव को
अंतिम रूप दे रही थी और बोर्ड इसे मंजूरी देने
जा रहा था?



तो यह क्या है?

सर, मैंने
अपने भाई से इसे मार्केटिंग
की तरह ही कहा था।



आप अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल थे। फिर भी,
आपने यह जानते हुए कि यह जानकारी अत्यधिक
गोपनीय है, उसे लीक किया।

N..oo..oS..ii..r,
tha..ts नहीं।





सेवा में सत्यनिष्ठा

- एक संगठन चाहे वह सामाजिक या वाणिज्यिक अथवा आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हो, उसके कर्मचारियों और हितधारकों के लिए एक निर्दिष्ट आचार-संहिता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी संगठन के संचालन के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखें।
- आचार-संहिता यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि अनैतिक तरीकों को अपनाकर कोई भी, संगठन और समाज को दांव पर लगा कर अपने व्यक्तिगत लाभ या किसी तीसरे पक्ष को लाभ न पहुंचा पाए।
- संगठन की प्रणालियां और प्रक्रियाएं न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि नैतिक, न्यायसंगत और निष्पक्ष भी होनी चाहिए। ईमानदारी इसका आवश्यक घटक होना चाहिए।



केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023

www.cvc.gov.in



के सहयोग से प्रकाशित

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुद्रित